राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065
ई–मेल :rmsc@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067
Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/मण्डार/वाहन पूल/2025–26/ 782

दिनांक : 30/10/2025

विज्ञप्ति

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. मुख्यालय, जयपुर पर मासिक आधार पर अनुबन्ध पर 06 डीजल/पेट्रोल वाहन (06 डिजायर या समकक्ष) एक वर्ष की अवधि के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ2(4)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 31.03.2021 एफ 2(4) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं एफ 2(4) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.07.2018/31.03.2021, 05.04.2022 एवं 03.10.2023 की दर एवं शर्तों पर फर्म/ट्रेवल्स एजेन्सी/व्यक्तिशः से लिए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय के दौरान **निगम मुख्यालय** में किया जा सकता है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म निम्न दस्तावेज के साथ दिनांक 31.10.2025 को सांय 3.00 बजे तक **निगम मुख्यालय के कक्ष संख्या 110** में प्रस्तुत कर सकते हैं।

वाहन	**वाहन संख्या**	**प्रति माह वाहन संचालन की न्यूनतम सीमा**	**राज्य सरकार के नियमानुसार राशि रू. प्रतिमाह**	कार्य सम्पादन प्रतिभूति
डिजायर या समकक्ष	06	1500 किलोमीटर		5% वार्षिक मूल्य की

1. **RC**
2. **Driving License**
3. **Fitness Certificate**
4. **Insurance**
5. **PAN**
6. **Addhar Card**
7. **Pollution Certificate**
8. **Tax Clearance.**
9. **Vehicle Registered as Taxi**
10. **Authorisation Permit**

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. उप निदेशक (आई.टी.) आरएमएससीएल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आरएमएससीएल की वैबसाईट पर अपलोड़ करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
3. रक्षित पत्रावली/गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

Signature Valid

Digitally signed by J[illegible] Singh
Designation: Executive Director
Date: 2025.10.30 [illegible]:19:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18494858

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

मासिक आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए दर संविदा (Rate Contract) हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें

1. निगम मुख्यालय पर मासिक आधार पर अनुबन्ध हेतु 06 डीजल / पेट्रोल वाहन (06) डिजायर या समकक्ष) वाहन के लिए कोटेशन जारी किये जाते हैं।
2. निविदा सामान्य वित्तीय लेखा वित्तीय नियमों, विभाग के परिपत्र कमांक/No-F-2(4)FD/SPFC/2017/Jaipur Dated: 28 Feb-2019/ 19.07.2018/ 31.03.2021, 05.04.2022 एवं 03.10.2023 के तथा राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अधीनस्थ होगी।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र पूर्णरूप से भरकर प्रत्येक पृष्ठ पर मय हस्ताक्षर एवं प्रपत्र में चाही गई सूचना व आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. आदेश प्राप्त होने के पश्चात अनुबन्ध के समय 12 माह के मूल्य की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी, जो कि प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के नाम देय डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी होगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. अनुबंध की शर्तों के अनुसार संतोषप्रद कार्य नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी द्वारा अनुबन्ध को एक माह का नोटिस देकर समाप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी का निर्णय अन्तिम होगा।
6. वाहन टैक्सी में पंजीकृत व बीमित होना आवश्यक है।
7. अनुबंध की अवधि अनुबंध के हस्ताक्षर होने की दिनांक से 12 माह के लिए होगी, जिसमें परस्पर सहमति से अनुबंध अवधि में 3 माह की वृद्धि की जा सकेगी।
8. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समर्पण/जब्त निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा। जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता।
9. सफल निविदादाता द्वारा भुगतान हेतु बिल प्रत्येक माह की 03 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदादाता को निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। एवं लिफाफे पर निविदादाता अपना पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर अवश्य लिखे।
11. सफल निविदा/व्यक्ति को प्रथमतः वाहन के पंजीयन/रोड टेक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

Signature valid
Digitally signed by Jai Singh
Designation: Executive Director
Date: 2025.10.30 07:19:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18494858

12. ड्यूटी के दौरान वाहन चालक नशे की हालत में नही होगा। वाहन चालक का कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रति व्यवहार मर्यादा पूर्ण होगा।

13. वाहन चालक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुघ ‍टिनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति / मुआवजा आदि देने का समस्त भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।

14. डीजल/ऑयल/वाहन चालक के वेतन भत्ते, मरम्मत व्यय आदि समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

15. वाहन का मॉडल 01 जनवरी 2020 से पूर्व का मॉडल/मेक स्वीकार नहीं किया जायेगा। तथा उच्च मॉडल / अच्छी हालात के वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। वाहन 06 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

16. अनुबंधित वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट/दुर्घटना/चालान/चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदादाता/व्यक्तिशः की होगी ना कि कार्यालय की।

17. निर्धारित प्रपत्र में लॉग बुक संधारित की जायेगी।

18. वाहन किराये के भुगतान में से नियमानुसार इनकम टेक्स के टीडीएस कटौती की जायेगी। जो व्यक्ति या फर्म जीएसटी में पंजीकृत है, और बिल जीएसटी के अनुसार प्रेषित करता है तो भुगतान राशि में से जीएसटी टीडीएस की कटौति करते हुए किया जाएगा।

19. वाहन का उपयोग राजकीय अवकाश के दिन भी किया जा सकता है।

20. वाहन खराब होने की स्थिति या अवकाश की स्थिति में निविदादाता को तुरन्त अन्य वाहन जो सभी शर्तें पूरी करता हो अविलम्ब उपलब्ध करवाए अन्यथा 1000/– रू प्रतिदिवस की दर से कटौति की जावेगी।

21. कर्तव्य स्थल (Duty Point) से दूरी एवं समय की गणना की जायेगी।

22. वाहन चालक वाहन चलाने का वैध लाईसेंस धारक होना चाहिए। वाहन चालक के पास चालू हालत में मोबाईल फोन होना आवश्यक है। वाहन 24 घण्टें में कभी भी मांगा जा सकता है। मोबाईल फोन बन्द होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नही करने पर वाहन तत्काल इस कार्यालय द्वारा अन्य एजेंसी से मंगवाकर [illegible] जावेगा। इस प्रक्रिया में जो भी व्यय होगा उसके अन्तर की [illegible] व्यक्तिशः (सफल निविदादाता) के भुगतान से काट ली जावेगी।

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Singh
Designation: Executive Director
Date: 2025.[illegible]:19:26 IST
Reason: Approved

23. वाहन उपलब्ध नही करवाए जाने की स्थिति में नियमानुसार राशि काट ली जावेगी।

24. बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

25. निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 प्रभावी होंगे।

26. वाहनों की संख्या प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेशानुसार आवश्यकता होने पर घटायी व बढाई जा सकती है।

27. वाहन किसी पृथक कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। वाहन 24X7 कार्यालय अधिनस्थ होगा तथा किसी भी समय वाहन का उपयोग किया जा सकता है।

28. वाहन में सामान्य चिकित्सक सामग्री तथा अन्य आवश्यक उपकरण ले जा सकेंगे।

29. सभी प्रकार के लगने वाले कर स्वयं निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा, अलग से देय नही होगा।

30. फर्म द्वारा उपरोक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करने पर जुर्माना लगाने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी को होगा व निर्णय पूर्ण रूप से मान्य होगा।

31. निर्धारित संचालन सीमा डीजायर या समकक्ष के लिए 1500 किमी से अधिक के वाहन चालन पर वित्त विभाग के आदेशानुसार अधिक चालन पर राशि रू. 10/– प्रति किमी अतिरिक्त देय होगा।

32. यदि कोई वाहन मध्यरात्रि पश्चात मुख्यालय से बाहर रूकता है, तो रात्रि शुल्क राशि रू. 300/– अतिरिक्त देय होगा।

33. सभी विधिक मामलों में न्याय क्षेत्र जयपुर रहेगा।

Signature valid

Digitally signed by Jai Singh
Designation: Executive Director
Date: 2025.10.30 07:19:26 IST
Reason: Approved